

म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेल रोड, भोपाल

क/मंडी/प्रांगण/कार्य योजना/बिन्दु क.24/583 भोपाल, दिनांक 22/12/2020
प्रति,


संयुक्त संचालक/उप संचालक
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
आंचलिक कार्यालय-भोपाल/इन्दौर/सागर
ग्वालियर/रीवा (म0प्र0)

विषय : प्रदेश की कृषि उपज मण्डी समितियों के मण्डी प्रांगण/उपमण्डी प्रांगण में
स्थित भूखण्ड/सरंचना के अतिक्रमण के संबध में।
संदर्भ :- कार्यालयीन पत्र क्रमांक/मंडी/प्रांगण/कार्य योजना/बिन्दु क.24/487-88
दिनांक 31.5.2019, पत्र क्रमांक 1073 दिनांक 30.12.2019

-000-


विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, जिसके माध्यम से कृषि उपज मण्डी समितियों के मण्डी प्रांगण/उपमण्डी प्रांगण में किये गये अतिक्रमण को मुक्त किये जाने के संबध में निर्देश जारी किये गये थे। तथा जिन मण्डी समितियों में बिना आवंटन के भूखण्ड/सरंचना का अतिक्रमण किया गया है, उनकी जानकारी निर्धारित प्रपत्र में संभागवार समयावधि में चाही गयी थी, जो कि वर्तमान तक अपेक्षित है।

अतः उपरोक्तानुसार चाही गयी जानकारी निर्धारित प्रपत्र में 07 दिवस में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।


उप संचालक(प्रांगण)
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क/मंडी/प्रांगण/कार्य योजना/बिन्दु क.24/584 भोपाल, दिनांक 22/12/2020
प्रतिलिपि-

1. भारसाधक अधिकारी/सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति.....जिला
.....(समस्त) की ओर भेजकर लेख है कि उपरोक्तानुसार
जानकारी आंचलिक कार्यालय के माध्यम से भिजवाना सुनिश्चित करें।


उप संचालक(प्रांगण)
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल